उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

(पूर्ववर्ती उ०प्र० ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान)
Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah-206 130 (U.P.)
Phone: (05688) 276591 (www.upums.ac.in)

सं1371/UPUMS/Estb-4 (1531-CD)/2025-26 दिनांक 12 जुलाई 2025

<u>शुद्धिपत्र</u>

विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं0 425/UPUMS/Estb-4 (1531-CD)/2025-26 दिनांक 28.04.2025 द्वारा निर्धारित अर्हता में बी0एस0सी0 (नर्सिंग)/ पी0बी0बी0एस0सी0 (नर्सिंग) के साथ 03 वर्ष के शैक्षणिक अनुभव के स्थान पर 03 वर्ष का अनुभव पढ़ा जाये। उपरोक्त के साथ ही आवेदन करने की अन्तिम तिथि को 31 जुलाई 2025 तक विस्तारित किया जाता है। अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

<u>महत्वपूर्ण निर्देश:</u> उपरोक्त पदों हेतु आवेदन सम्बन्धी समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट **<u>www.upums.ac.in</u>** पर उपलब्ध है।

कुलसचिव

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

(पूर्ववर्ती उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान)

Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah-206 130 (U.P.)

(Formerly U.P. Rural Institute of Medical Sciences & Research, Saifai, Etawah)

Phone: (05688) 276591 Fax: (05688) 276509

विज्ञापन सं0 ५२५ /UPUMS/Estb-4 (1531-CD)/2025-26 दिनांक-28/04/2025

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अधीन संचालित निर्सिंग संकाय के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु रिक्त पदों को भरे जाने के लिए भारतीय नागरिकों से ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.स.	पदनाम एवं वेतनमान	अधिकतम आयु सीमा	कुल रिक्तियाँ	अर्ह योग्यता
1	डिमान्स्ट्रेटर/रेजीडेण्ट वेतनमान- As per 7th CPC Pay Matrix Rs. 56,100/- (Level-10)	40 वर्ष	06 (UR-02 EWS-01 OBC-02 SC-01)	इन्डियन नर्सिंग काउन्सिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0एस0सी(नर्सिंग)। अथवा इन्डियन नर्सिंग काउन्सिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एस0सी((नर्सिंग)/ पी0बी0बी0एस0सी(नर्सिंग)) के साथ 03वर्ष का अनुभव।

महत्वपूर्ण निर्देश:-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र केवल ऑफलाइन स्वीकार किये जाएंगें। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट: www.upums.ac.in पर उपलब्ध हैं।
2. आवेदन शुल्क के रूप में धनराशि सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यू0एस0 के लिए रु. 2000/- व अनुसूचित जाति के लिए रु. 1000/- का बैंक ड्राफ्ट, **Finance Officer, UPUMS, Saifai (Bank of India, Saifai- Code No. 7281)** के पक्ष में देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थियों की आयु की गणना 01.01.2025 को की जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिकों/राज्य सरकार के नियमित कार्मिकों के लिए आरक्षण एवं आयु सीमा में शिथिलता उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार प्रदान की जाएगी।
4. अभ्यर्थी दसवीं/समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर जन्म-तिथि एवं आयु का सही-सही उल्लेख करे।
5. आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करता है, किसी भी प्रकार की विसंगती पाये जाने पर उसको अपात्र मानते हुए बिना किसी सूचना के उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
6. आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य होगा। अन्य राज्यों के आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी। तदनुसार उनके लिए अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा, आवेदन शुल्क तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतएव अन्य राज्यों के आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवेदन-पत्र में स्वयं को अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन पत्र भरें।
7. EWS आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास वर्ष 2025-26 के लिए मान्य प्रमाण पत्र हो, अन्यथा स्थिति में अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

8. OBC श्रेणी के अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास नवीनतम जाति प्रमाण पत्र जिसमें Non-Creamy Layer का उल्लेख हो, प्रेषित करें। अन्यथा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी जिसके लिए निर्धारित आयु सीमा, शुल्क तथा अन्य अर्हताएँ अनारक्षित श्रेणी की लागू होंगी।
9. पदों की संख्या अनुमानित है, आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है।
10. अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की दशा में प्री-इन्टरव्यू टेस्ट/सी0बी0टी0 के माध्यम से शॉर्टलिस्टिंग की जा सकती है।
11. आवेदन पत्र दिनांक...30 May 2025.....सांय 5:00 बजे तक चयन प्रकोष्ठ में केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्य से स्वीकार किये जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का पत्र नियत दिनांक के बाद प्राप्त होता है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के चयन की कार्यवाही निरस्त की जा सकती है।

कुलसचिव